भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 07 / 22 / 2015 / एफ.सी. / 379

दिनाँकः 22/7/15

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : जनपद लखनऊ में एन0एच0–25 के किमी0 11 से 03 किमी0 के बीच लखनऊ मैट्रो रेल कार्पो0 द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर से चारबाग तक मैट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु 0.13354 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 66 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, का पत्रांक– 33 / 11सी–यू0पी0–058 / 2015, दिनांक– 03.07.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है। इस प्रस्ताव के मुख्य तथ्य निम्नलिखित है–

वन भूमि का विवरण	0.13354 हे0 संरक्षित वन भूमि, अवध वन प्रभाग
बाधक वृक्षों / पातन होने वाले वृक्षों की कुल संख्या–	66 वृक्ष
प्रयोक्ता अभिकरण का विवरण	उप मुख्य अभियन्ता, लखनऊ मैट्रो रेल कार्पो0 लि0, लखनऊ मैट्रो रेल कार्पो0 कार्यालय, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद लखनऊ में एन0एच0–25 के किमी0 11 से 03 किमी0 के बीच लखनऊ मैट्रो रेल कार्पो0 द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर से चारबाग तक मैट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु 0.13354 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 66 बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर अर्थात् 0.26708 हे0 एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) जो कि प्रस्ताव के संलग्न योजना के अनुसार है, जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण के स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र संशोधित करके प्रस्तुत किया जाएगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये

22/7/15

आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।

सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ जमा की जाने वाली सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– एस0बी0–25230 कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण एवं जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट / चेक / आर0टी0जी0एस0 / एन0एफ0टी, जो भी लागू हो, की छायाप्रति सहित) प्रेषित की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण को, यदि आवश्यक हो, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

6. विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं स्तम्भों पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र को एव क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को मानचित्र पर दर्शातें हुए जो सी0डी0 प्रस्तुत की गयी हैं, उसमें प्रस्तावित स्थल को .kml file में नही दर्शाया गया है। अतः प्रस्तावित स्थल को एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को .kml file में दर्शातें हुए पुनः सी0डी0 प्रस्तुत की जाएगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एन0पी0वी0 दरों के अनुसार देय धनराशि का विवरण भी प्रस्तुत करें।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पश्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर0 वन महानिदेशक (एफ.सी)., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110003.
3. नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
5. उप मुख्य अभियन्ता, लखनऊ मैट्रो रेल कार्पो0 लि0,लखनऊ मैट्रो रेल कार्पो0 कार्यालय,प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)